सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 174 राँची, गुरुवार, 2 चैत्र, 1938 (श०) / 23 मार्च, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 जनवरी, 2017

विषय: झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक- 20 पर बनिया वर्ग के प्रकोष्ट में अंकित ''हलवाई'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित करने के संबंध में ।

संख्या-14/जाति-03-10/2010 का.- 876-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछडे वर्गो एवं पिछडे वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 मे क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है ।

3. पिछडे वर्गो के लिए राज्य आयोग से प्राप्त सलाह के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची ii) के क्रमांक 20 मे वैश्य जाति के साथ दर्ज हलवाई जाति को विलोपित कर झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची i) में सूचीबद्ध किया जाय । तद्नुसार झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) का संशोधित रुप निम्नवत हैः-

समावेशन(अनुसूची-1)

(i) अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-1) के रिक्त क्रमांक-125 पर 'हलवाई' को समावेशित किया जाय ।

विलोपन(अनुसूची-2)

(i) चूँकि हलवाई जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-125 पर समावेशित किया गया है, अतएव हलवाई जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 में बनिया वर्ग के प्रकोष्ट से विलोपित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 174--50